

आदेश:-

इस विभाग के संमसंख्यक आदेश दिनांक 20.08.19 के द्वारा राजस्थान अभियोजन सेवा के अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने के संबध मे प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था। उक्त आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

-52-

(एस.एन.व्यास)

विशिष्ट शासन सचिव गृह,
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपी:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय जयपुर।
5. महानिदेशक पुलिस, (भ्र.नि.ब्यूरो, होमगार्ड जेल) राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (ए.टी.एस., एस.ओ.जी., सी.आई.डी.सीबी) जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक वादकरण, राजस्थान जयपुर।
10. निदेशक राजस्थान, पुलिस अकादमी, जयपुर।
11. प्राचार्य, पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर, जोधपुर।
12. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
13. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान।

26/08/19

विशिष्ट शासन सचिव गृह,
एवं संयुक्त विधि परामर्शी